# न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।
# In The Court of Additional Collector, Ranchi.

अनुसूची–14 फार्म सं. 562
Schedule-14 Form No. 562

आदेश पत्रक
ORDERSHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम –129
Record Manual 1941 Rule-129

---------------------------वाद सं...........................................बर्ष ...............................................धारा.................................
SAR Appeal……Case No…116 R15……... Year….. ..2008-09……… .Section……………..
अपीलकर्ता / प्र.प. / आवेदक चंचला देवी प्रतिवादी / द्वि.प. / विपक्षी चंदर टोप्पो
Appellant/F.P./Petitioner Respondent/S.P./O. P.

| आदेश कमांक / तिथि Order No./Date | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer | आदेश पर की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1<br>20.10.2008 | अपीलकर्ता चंचला देवी पति स्व0 रामजनम पासवान, ग्राम हेहल इ. टी. सी. कम्पाउण्ड, थाना सुखदेवनगर, जिला रॉंची ने एस ए आर वाद संख्या 54 / 2005–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 1.3.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।<br>**ग्राम** **खाता** **खेसरा** **रकबा**<br>हेहल 14 128 2½ कट्ठा<br>अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन रामइकबाल मेहता द्वारा प्राप्त की गयी थी। प्रतिवादी के पिता सुन्दरा उरॉंव ने रामइकबाल मेहता के विरुद्ध एस ए आर वाद संख्या 183 / 89–90 दायर किया था जिसका फैसला दिनांक 17.12.1991 को धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अनुसार हुआ तथा क्षतिपूर्ति की राशि का भूगतान किया गया। न्यायालय द्वारा रामइकबाल मेहता के पक्ष में | |

| आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer | आदेश पर की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | जमीन विनियमित किया गया। अपीलकर्ता ने रामइकबाल मेहता से विवादित जमीन निबंधित वसीका से दिनांक 2.9.2000 को क्रय किया तथा दाखिल खारिज वाद संख्या 3419 आर 27/2004–05 से नामांतरण भी स्वीकृत हुआ है।<br>अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता सिमडेगा में नौकरी करते हैं जिसके कारण निम्न न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलकर्ता को दखल देहानी आदेश निर्गत होने के बाद हुई।<br>निम्न न्यायालय वाद के आदेशफलक के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का पक्ष नहीं सुना गया है। न्यायहित में इनको सुनवाई का अवसर प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। अतः इस वाद को पुर्नसुनवाई हेतु निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई कर एवं इनके कागजातों का परिशीलन कर पुनः आदेश पारित किया जाय।<br>दिनांकः– 20.10.2008 लेखापित एवं संशोधित।<br>ह0/–<br>अपर समाहर्ता,<br>रॉची। | |